मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 682
24.07.2023 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट

682. **श्री बालक नाथ :**
श्री फिरोज वरुण गांधी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पन्न ई-अपशिष्ट का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और संभलाई) नियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघ करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में, विशेष रूप से राजस्थान में ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/भंजन में लगे व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या ई-अपशिष्ट प्रबंधन कानून के तहत, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत कंपनियों पर ई-अपशिष्ट संग्रहण/पुनर्चक्रण लक्ष्यों के संबंध में यादृच्छिक निरीक्षण करना होता है; और
(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक किए गए यादृच्छिक निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अधिदेशित किए गए अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्पादकों द्वारा प्रदत्त देशव्यापी विक्रय आंकड़ों और अधिसूचित इलेक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) की औसतन उपयोग-अवधि के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट का आकलन करता है। सीपीसीबी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत अधिसूचित इक्कीस (21) प्रकार के ईईई से देश में उत्पन्न अनुमानित ई-अपशिष्ट क्रमश: 13,46,496.31 टन और 16,01,155.36 टन था।

(ख) और (ग) सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर, दस (10) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) प्राधिकृत उत्पादकों के मामले में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का उल्लंघन संसूचित किया गया था। तदनुसार, अप्रैल, 2019 में, उनके ईपीआर प्राधिकार निलंबित कर दिए गए थे। एसपीसीबी ने इन दस (10) उत्पादकों के 400 से अधिक संग्रह केन्द्रों का सत्यापन किया और अपनी सत्यापन रिपोर्ट सीपीसीबी को प्रस्तुत की। उक्त में से आठ (8) उत्पादकों के मामले में उनके द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने तथा उन उपायों के सत्यापन के आधार पर उनके ईपीआर निलंबन को बाद में रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा, सीपीसीबी ने जनवरी, 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य के तीन प्राधिकृत भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का निरीक्षण किया और वे ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। तदनुसार, सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मई, 2020 में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए। सीपीसीबी ने सिंतबर, 2022 में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जांच करने, ई-अपशिष्ट के प्राधिकृत

भंजनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं का सत्यापन करने और जन-जागरूकता अभियान चलाने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्देश जारी किए। हालांकि, सरकार ने देश में ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/भंजन का कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं बल्कि पुनर्चक्रण सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ड.) मंत्रालय ने पूर्व नियमावली को व्यापक रूप से संशोधित किया और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए और इन्हें दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी बनाया गया है। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सीपीसीबी को ई-अपशिष्ट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यादृच्छिक जांच करनी है और वह सीमाशुल्क/राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी (एजेंसियों) की सहायता ले सकता है और एसपीसीबी/पीसीसी को पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीकरणकर्ताओं का औचक निरीक्षण करना है तथा पुनर्चक्रण क्षमता के उपयोग की निगरानी करनी है। सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा हाल के वर्षों में निम्नलिखित निरीक्षण/सत्यापन-कार्यों का निष्पादन किया गया :

- सीपीसीबी के भोपाल, बेंगलुरू, कोलकाता, वडोदरा और लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशालयों ने मार्च से मई 2019 के दौरान 33 भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का निरीक्षण/सत्यापन किया।
- वर्ष 2019 में भंजनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं के अनुपालन संबंधी सत्यापन के लिए सीपीसीबी के निर्देशों के आधार पर 17 एसपीसीबी/पीसीसी ने लगभग दो सौ तिरसठ (263) भंजन और पुनर्चक्रण केन्द्रों का निरीक्षण किया।
- वर्ष 2018 में, सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को भंजनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं का सत्यापन करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर, 09 एसपीसीबी/पीसीसी ने लगभग 167 भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का निरीक्षण किया है।
- देशभर में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों के प्रवर्तन हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है और सभी एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्य योजना में भंजनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं के निरीक्षण, उत्पादकों के केन्द्रों के सत्यापन तथा अनौपचारिक ई-अपशिष्ट इकाइयों की जांच के लिए कार्रवाई-बिंदु निहित हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 22 एसपीसीबी/पीसीसी ने इन नियमों के अनुपालन के सत्यापन के लिए 227 भंजनकर्ताओं/ पुनर्चक्रणकर्ताओं एवं 608 ई-अपशिष्ट संग्रह-केन्द्रों का निरीक्षण किया है।

*****